न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

लिखमाराम व अन्य

बनाम

पार्वती इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

आदेश

दिनांक 13 मई 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 404/2024 अनवान लिखमाराम व अन्य बनाम पार्वती इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 203 रकबा 39.08 बीघा ग्राम काकेलाव अपीलांट्स के पिता देवीलाल को धारा 15 राजस्थान काश्ताकार अधिनियम के तहत आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 247 के जरिये उनका नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व कर्मचारियों ने गलती से देवीलाल जी के देहान्त होने के बाद तैयार की गई खतौनी में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता बंशीलाल व प्रत्यर्थी संख्या 5 मदनलाल के नाम दर्ज कर दी। प्रत्यर्थीगण ने उक्त गलत इंद्राजों के आधार पर भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की ओर से घोषणा खातेदारी का प्रतिदावा प्रस्तुत करके उक्त भूमि का अपीलार्थीगण के पक्ष में

रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर खातेदारी में घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीगण/रेस्पोडेंट्स की ओर से विभाजन का वाद विद्रो कर वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 को बेचान कर कर दी। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट्स अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम के विचाराधीन रहते गलत राजस्व रेकर्ड की आड़ में विवादित भूमि के बेचान करने तथा अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने का एवं अजनबी खरीददार द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकिया दे रहे है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या सात के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पूर्वज रामू वल्द आसु के नाम दर्ज रही है। स्व. रामू की फौतेदगी पर नामांतरकरण संख्या 196 के जरिये वादग्रस्त आराजी उनके तीनों पुत्रों देवीलाल, बंशीलाल एवं मदनलाल के नाम से दर्ज की गई। मौके पक्षकारान् अपने-अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार काबिज काश्त है। नामांतरकरण संख्या 247 जिसमें रामूराम की फौतेदगी पर केवल उनके एक पुत्र देवीलाल का नाम दर्ज किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त नामांतरकरण का जमाबंदी में किसी प्रकार का इन्द्राज नहीं हुआ है। समस्त राजस्व रेकर्ड नामांतरकरण संख्या 196 के अनुसार ही संधारित है। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय से नामांतरकण संख्या 247 के आधार

पर स्थगन आदेश पारित करवाया गया है जो विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 को परेशान करने के उद्धेश्य से केवल खसरा नंबर 203 के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा में देवीलाल के पुत्र भंवरलाल की साख मौजूद है, जिससे यह साबित है कि उभय पक्ष नामांतरकरण संख्या 196 के अनुसार ही काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 196 दिनांक 30.08.1971 के मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पूर्वज रामू वल्द आसु पालीवाल की फौतेदगी पर उनके नाम खाता संख्या 202 एवं 383 में दर्ज भूमियों का विरासतन नामांतरकरण उनके तीन पुत्रों देवीलाल, बंशीलाल एवं मदनलाल के नाम से स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है। नामांतरकरण संख्या 247 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 203 पूर्व में रामू वल्द आसु के नाम से दर्ज होना दर्शित होना प्रतीत होती है। उक्त नामांतरकरण में अंकन है कि रामू फौत है, लड़का देवीलाल है, नामांतरकरण भरा गया। जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध स्व. रामू के फौतेदगी नामांतरकरण में उसके तीनों पुत्रों का नाम दर्ज नही किया जाकर केवल देवीलाल का नाम दर्ज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवतः 2028-2031 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी में नामांरतकरण संख्या 196 के अनुसार स्व. रामू के तीनों पुत्रों का नाम दर्ज चला आ रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध बेचाननामा दिनांक 03.05.2024 के दिनांक वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार श्रीमती पार्वती पत्नी बंशीलाल, अनिल, गोपाल पुत्रगण बंशीलाल एवं श्रीमती कल्पना पुत्री बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सहित अन्य भूमियों में निहित अपना संपूर्ण हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 8 रामलाल को

बेचान किया जाना पाया जाता है। इसी प्रकार पत्राली पर उपलब्ध अन्य बेचाननामा दिनांक 03.05.2024 के मुताबिक खातेदार मदनलाल पुत्र रामूराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात सहित अन्य भूमियों में निहित अपना संपूर्ण 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 7 को बेचान किया जाना प्रकट होता है। उक्त दोनो बेचाननामों में देवीलाल के वारिस भंवरलाल पुत्र देवीलाल अर्थात अपीलांट के भाई की साख उपलब्ध है, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में स्व. रामू वल्द आसु के नाम से दर्ज रही है तथा उनकी फौतेदगी उपरांत उनके सभी वारिसान् के नाम बराबर दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस स्तर पर रेकर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरते है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर